न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

शिम्भू बनाम सरकार

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट

वाद संख्या– 02 / 149 / 2022

13.09.2022 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि खातेदारी आराजी के हाल खसरा संख्या 1629 / 0.0300, 1630 / 0.0400, 1631 / 0.0700 है0 वाके ग्राम धमरेड जो साबिक खसरा संख्या 1097 मिन सामिल खसरा संख्या 1627 से बने है को गलत तरीके से राजस्थान सरकार के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया से प्रार्थीगण वादीगण को बेदखल नही किया जावे साथ ही हाल खसरा संख्या 1497 / 1.0600, 1498 / 0.3700, 1499 / 0.2800, 1509 / 0.0200, 1538 / 0.4800 किता 5 2.2100 है0 वाके ग्राम धमरेड तहसील राजगढ जिला अलवर का रकबा साबिक खसरा संख्या 1098 रकबा 2 बीघा बिस्वा, 1099 रकबा 5 बिस्वा 1100 रकबा 1 बीघा 15 बीस्वा, 1107 रकबा 19 बिस्वा, 1108 रकबा 3 बीघा 6 बीस्वा, 1109 रकबा 1 बीस्वा कुल किता 6 रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा के अनुसार 11 बीघा 1 बिस्वा का रकबा 2.7600 है0 होता है रकबा 2.2100 है0 दर्ज कर 0.4100 है0 कम दर्ज कर दिया है के आधार पर जबरन बेदखल नहीं करें। न अपने अधिनस्थ कर्मचारीयान से बेदखल नही करावे तथा वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की रूकावट वो मजाहमत नहीं करें। साथ में शपथ पत्र पेश किया।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निम्न तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर जॉचना आवश्यक है–

(अ) मुतनाजा आराजी पर प्रार्थी का स्वत्व / कब्जा होना आवश्यक है।

(ब) प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन का प्रार्थी के पक्ष में झुकाव होना आवश्यक है।

(स) प्रकरण में मुतनाजा आराजी पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को बेदखल किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना साबित होनी चाहिये।

वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी उक्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है। अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज पर विश्वास करते हुऐ अप्रार्थीगण को आराजी के हाल खसरा संख्या 1629 / 0.0300, 1630 / 0.0400, 1631 / 0.0700 1497 / 1.0600, 1498 / 0.3700, 1499 / 0.2800, 1509 / 0.0200, 1538 / 0.4800 [redacted] है0 वाके ग्राम धमरेड तहसील राजगढ जिला अलवर को आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.10.2022 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा है <u>आगामी तारीख पेशी तक विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।</u> अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 13.10.2022 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ (अलवर)

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक. 07/3/25 को पेश हो। रीडर 03.11.25 पत्रावली पेश। मूलवाद 08 RS non-compliance के तहत खारिज किया जा चुका है। अतः पत्रावली प्रासंगिक धारा 212 RT Act की कार्यवाही बंद की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

27/10/25

पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 03/11/25 को पेश हो।

रीडर

03.11.25

पत्रावली पेश। वकील वादी उप0। पत्रावली अवलोकन करने पर पाया गया कि पत्रावली लम्बे समय से तलबी के अन्तर्गत विचाराधीन होने के कारण पत्रावली order 9 Rule 5 non-compliance के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा हो।